न्यायालय अति.जिला कलेक्टर,टोंक

(परशुराम धानका, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या — 06 / 2021
प्रविष्टि दिनांक — 16.02.2021

नाथू पुत्र लाला बैरवा निवासी ढोकरिया तहसील मालपुरा जिला टोंक

—अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार मालपुरा जिला टोंक

—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0ले0रे0एक्ट 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार मालपुरा दिनांक 01.09.2020

उपस्थिति : (1) श्री जितेन्द्र कुमार जैन, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री रामप्रसाद कुमावत, राजकीय पेरोकार रेस्पोडेण्ट

दिनांक 25.05.2022

निर्णय

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मालपुरा ने अपने आदेश दिनांक 01.09.2020 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 3020 / 1 व 3050 / 1 रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम ढोकरिया तहसील मालपुरा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल किये जाने एवं 90 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार मालपुरा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस निवेदन किया कि उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हैं। अपीलांट की प्रोपर तामील नहीं करवाई गई हैं तथा साक्ष्य व जवाब भी प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया। यह निर्णय अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है जो गैर कानूनी एवं चलने योग्य नहीं हैं। अपीलांट वादग्रस्त भूमि का अतिकमी नहीं है। अपीलांट ने किसी प्रकार सरकारी भूमि पर नाजायज अतिक्रमण नहीं किया है बल्कि यह भूमि अपीलान्ट को वर्षो पहले भूमिहीन, गरीब काश्तकार होने के कारण तथा लगातार कब्जा हाने से राज्य सरकार द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाकर आवंटित की गई थी जिसको इस न्यायालय द्वारा वर्षो बाद तहसीलदार की झूठी शिकायत के आधार पर कानून के विरूद्ध जाकर अपास्त कर दिया था। इस न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्व अपील अधिकारी टोंक के यहां अपील करने पर इस न्यायालय के निर्णय को

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

अपास्त कर अपीलान्ट के आवंटन को बहाल रख दिया था तथा प्रकरण को पुनः सुनवाई के लिए इस न्यायालय में रिमाण्ड किया है जो कि अभी तक पत्रावली इस न्यायालय में नहीं आई हैं। नायब तहसीलदार मालपुरा को अपीलान्ट के आवंटन, खातेदारी तथा वर्षों से चले आ रहे कब्जे की पूरी जानकारी होते हुए भी अपीलांट को अतिक्रमी मानकर तथा गलत रूप से पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर निर्णय पारित किया हैं। साथ ही अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 लिमिटेशन एक्ट अलग से प्रस्तुत किया जा रहा हैं जिसे स्वीकार किया जावें। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.09.2020 निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के विरूद्ध की गई कार्यवाही समाप्त की जावें।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट की विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुआ है। अतिक्रमी ने उपस्थित होकर अतिक्रमण करना स्वीकार किया हैं। अपीलांट एक पश्चातवर्ती अतिक्रमी है जिसने संवत् 2076 में भी अतिक्रमण किया था जो हल्का पटवारी के बयानों से सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व में भी अतिक्रमण किया था। अतिक्रमी राजकीय भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है। राजकीय पेरोकार ने दौराने बहस तर्क दिया कि अपीलांट को यदि विवादित भूमि आवंटित हुई थी तो उनके द्वारा भूमि आवंटन के दस्तावेजात् प्रस्तुत करने चाहिए थे जो कि पेश नहीं किए गए हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अपील अपीलांट खारिज की जावें।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण का नोटिस दिया गया है। अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर भूमि पर अपना कब्जा होना स्वीकार किया है। बहस के दौरान अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज अपील सं. 60/2007 (05/2002) उनवान नाथू पुत्र श्री हरिकृष्णा उर्फ लाला जाति बैरवा निवासी डोकरिया तन मोरला तह. मालपुरा बनाम भू–आवंटन सलाहकार समिति जरिये उपखण्ड अधिकारी मालपुरा के निर्णय दिनांक 13.09.2011 का भी अवलोकन किया जिससे ज्ञात होता हैं कि पूर्व में प्रकरण 14(4) रिमाण्ड किया गया था जिस पर कोई कार्यवाही नहीं होना बताया है।

अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर नायब तहसीलदार मालपुरा द्वारा पारित निर्णय दिंनाक 01.09.2020 को निरस्त किया जाता हैं एवं प्रकरण इन निर्देशो के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए तथा अपील सं. 60/2007 (05/2002) उनवान नाथू बनाम भू–आवंटन सलाहकार समिति के निर्णय दिनांक 13.09.2011 का अवलोकन कर व प्रार्थी को आवंटित भूमि की पत्रावली का अध्ययन कर विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 25.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

[illegible]
अति.जिला कलेक्टर,टोक